



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रावपुर-थाली रोड, महात्मा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रावपुर के सामने
देहरादून-248008

वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in E-mail: chosanayug@upsc.gov.in
विज्ञापन संख्या: 63/उपअधीनस्थ/2024 दिनांक: 25 सितंबर, 2024

चयन हेतु विज्ञापन

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के तकनीकी स्तरों के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	25 सितंबर, 2024
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	28 सितंबर, 2024
ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	18 अक्टूबर, 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि/अवधि	21 अक्टूबर, 2024 से 24 अक्टूबर, 2024 तक
लिखित परीक्षा की अन्तिम तिथि	26 नवंबर, 2024

02. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के समूह 'ग' के प्रासंगिक के रिक्त 140 पदों, टैक्नीशियन ग्रेड-2(विद्युत) के रिक्त 21 पदों, टैक्नीशियन ग्रेड-2(यांत्रिक) के रिक्त 09 पदों, मलक्ष्य विस्त्री के रिक्त 16 पदों, प्लम्बर के रिक्त 01 पद, मेटिनेस सहायक के रिक्त 01 पद, इलेक्ट्रिशियन के रिक्त 01 पद, इन्स्ट्रूमेंट रिपेयर के रिक्त 03 पद, अनुरेखक/ट्रेसर के रिक्त 03 पदों तथा बैतकला प्रशिक्षक के 01 रिक्त पद अर्थात् कुल 196 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

03. अभ्यर्थियों को चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की Offline अथवा Online mode में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतिभोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम दौर में दी गई तिथि अन्तिम है। परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना कक्षा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञापित तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दिये गये Mobile Phone Number पर S.M.S. तथा E-Mail द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आयोग की वेबसाइट, E-Mail या S.M.S. से ही मिलेंगी। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का सही Phone/Mobile Number व E-Mail नरें। आयोग द्वारा सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। अतः आवश्यक है, कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी तथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना इत्यादि के लिए आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in को समय-समय पर देखते रहें।

7. अम विभाग द्वारा संवाहित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों को अम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवायोजन परिषद भारत सरकार द्वारा प्रदत्त नवशानवीसी का प्रमाण पत्र।

(b) अधिमाम्ब अर्हतायै- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अन्यार्थी को सेवा चयन में अधिमान दिया जायेगा, जिसने-

1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या भूतपूर्व सैनिक हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

B- पदनाम-

टैक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत)

पदकोड-524/668/63/2024

कुल पद-21

(j) रिक्तियों का विवरण एवं शैक्षणिक आकाश की स्थिति-

अप को	पदनाम/ विभाग का नाम	अवकाश श्रेणी	रिक्त पद	शैक्षणिक आकाश के अनुरूप रिक्त पदों की संख्या						विभाग
				समाप्त की स्थिति	समाप्त की अवधि	भूतपूर्व सैनिक	अन्य	समाप्त की कुल विवरण	प्रादेशिक राज्य अधीन के विभिन्न अधीनस्थानों पर अन्य अधीन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	टैक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) (एलेक्ट्रीशियन लिमिटेड)	अवकाश	03	01	-	-	-	-	-	-
		अवकाश	02	-	-	-	-	-	-	-
		अवकाश	06	02	-	-	-	-	-	-
		अवकाश	02	-	-	-	-	-	-	-
		अवकाश	08	02	-	-	-	-	-	-
		योग	21	05	-	-	-	-	-	-

(ii) वेतनमान- रु 27200-रु 86100 (लेवल-04)

(iii) आयु सीमा- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप- अराजक/स्थायी/अस्थायी पेशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता-

(a) अनिवार्य अर्हता-

(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रिकल ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यवसायिक प्रमाण-पत्र एवं 02 वर्ष का कार्य का अनुभव।

(b) अधिमानी अर्हतायै- अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अन्यार्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंने-

- (1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

C. पदनाम-

टैक्नीशियन ग्रेड-2 (यांत्रिक)

पदकोड-524/669/63/2024

कुल पद-09

(i) रिक्तियों का विवरण एवं वैधित्व आरक्षण की स्थिति-

क्र. सं.	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	वैधित्व आरक्षण के अनर्गल रिक्त पदों की संख्या						विवरण
				प्रारंभिक को श्रेणी	समाप्ति के अंकित	कुल रिक्त	अथ	प्रारंभिक की कुल संख्या	प्रारंभिक राज्य अनुदान के विहित अनुदानकारी या उनके अंकित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	टैक्नीशियन ग्रेड-2 (यांत्रिक) (टैक्नीशियन रिफिटिंग)	अप्रतिष्ठित	-	-	-	-	-	-	-	-
		अप्रतिष्ठित	01	-	-	-	-	-	-	-
		अप्रतिष्ठित	-	-	-	-	-	-	-	-
		अप्रतिष्ठित	01	-	-	-	-	-	-	-
		अप्रतिष्ठित	07	02	-	-	-	-	-	-
	योग	09	02	-	-	-	-	-	-	-

(ii) वेतनमान- ₹0 27200-₹0 88100 (लेवल-04)

(iii) आयु सीमा- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप-अराजक/स्थायी/अंशदायी पेशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता-

(a) अनिवार्य अर्हता-

1 मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा फिटर ट्रेड में अंकित भारतीय/राज्य व्यवसायिक प्रमाण-पत्र एवं संबंधित कार्य का 02 वर्ष का कार्य का अनुभव।

(b) अधिमानी अर्हताएं- अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अर्थों को सीपी भागों के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंने-

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट फोर्स का "डी" प्रमाण-पत्र अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

D- पदनाम-

नलकूप मिस्त्री

पदकोड-671/322/63/2024

कुल पद-16

(j) शिक्षकों का विवरण एवं वैशेष्य आकांक्षा की स्थिति:-

क्र. सं०	पदनाम/ विभाग का नाम	आकांक्षा क्षेत्र	रिक्त पद	वैशेष्य आकांक्षा के अनुरोध रिक्त पदों की संख्या						रिक्त	
				उत्तराखण्ड की महिला	उत्तराखण्ड के अधिक	पुत्रपुत्री वैशेष्य	अन्य	उत्तराखण्ड के कुल रिक्तपदों	उत्तराखण्ड राज्य आयोगों के विभिन्न आयोजनकारी या अन्य अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	नलकूप मिस्त्री (शिवाई विभाग, उत्तराखण्ड)	330200	-	-	-	-	-	-	-	-	
		8070200	-	-	-	-	-	-	-	-	
		अधिक	01	-	-	-	-	-	-	-	-
		आयुक्त	01	-	-	-	-	-	-	-	-
		अन्य	14	04	-	-	-	-	-	01	-
	योग	16	04	-	-	-	-	-	01	-	

(ii) वेतनमान- ₹0 29,500-₹0 81,100 (लेवल-04)

(iii) आयु सीमा- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप-अस्थायित/स्थायी/अस्थायी पेशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता-

(a) अनिवार्य अर्हता-

(1) हाई स्कूल तथा आईटीआई के साथ-साथ 06 वर्ष का अनुभव।

(b) अधिमानी अर्हताएं- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी परीक्षा के माध्यम से अधिमानी दिया जाएगा, जिन्होंने-

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) नेशनल कॅडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

(3) स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।

E- पदनाम-

प्लम्बर

पदकोड-818/358/83/2024

कुल पद-01

(i) विनियमों का विवरण एवं शैक्षणिक आस्त्राण की स्थिति-

क्र. सं.	पदनाम/ विभाग का नाम	आस्त्राण श्रेणी	विवरण	शैक्षणिक आस्त्राण के अनुरूप विवरण परीक्षा की संख्या						विद्यमान
				उत्तराखण्ड की परीक्षा	सम्बन्धित के अधिकतम	सुदृढ़ शैक्षणिक	अन्य	उत्तराखण्ड के कुल विद्यमान	उत्तराखण्ड राज्य अस्पताल के विभिन्न आस्पेटल/कॉलोनी पर एम्बेडेड अधिकतम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	प्रोजेक्टनिट (टीए आर) एचए टेलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी)	अवकाश	-	-	-	-	-	-	-	-
		अवकाश/प्राप्त	-	-	-	-	-	-	-	-
		अवकाश	-	-	-	-	-	-	-	-
		अवकाश	-	-	-	-	-	-	-	-
		अन्य	01	-	-	-	-	-	-	-
	योग	01	-	-	-	-	-	-	-	-

(ii) वेतनमान:- रु 19900-रु 63200 (लेवल-02)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप-अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षणिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाईस्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो,

(2) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बर ट्रेड में प्रमाण-पत्र,

(3) संबंधित ट्रेड में 02 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा,

(b) अधिमान अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अर्हताओं को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंने:-

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

F- पदनाम-

मेंटिनेंस सहायक

पदकोड-655/278/63/2024

कुल पद-01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं शैक्षणिक आस्थापना की स्थिति-

क्र. सं.	पदनाम/ विभाग का नाम	आवक श्रेणी	रिक्त पद	शैक्षणिक आस्थापना के अनुवर्ती रिक्त पदों की संख्या							विद्यार्थी
				उत्तराखण्ड की परीक्षा	समावेष्टों के अतिरिक्त	पुनर्परीक्षा	अन्य	उत्तराखण्ड के मुख्य विभागी	उत्तराखण्ड राज्य अन्दोलन के विहित अनुवर्ती/अन्य पद एवं अतिरिक्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	मेंटिनेंस सहायक (राज्य संचालित विभाग, उत्तराखण्ड)	अवकाश	-	-	-	-	-	-	-	-	
		अवकाश	-	-	-	-	-	-	-	-	
		अवकाश	-	-	-	-	-	-	-	-	
		अवकाश	-	-	-	-	-	-	-	-	
		अवकाश	01	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	01	-	-	-	-	-	-	-	

(ii) वेतनमान:- ₹ 19,900-₹ 63,200 (लेवल-02)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप-अवलम्बित/स्वतंत्र/असाधारण पेशानयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

- (1) विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की इन्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो
- (2) इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल में 02 वर्षीय आईटीआई/किरोना तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अभिमान दिया जाएगा, जो कम्प्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान रखते हों।

(b) अभिमान अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के माध्यम में अभिमान दिया जाएगा, जिन्होंने-

- (1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (2) मेरुनाल सैंडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

G- पदनाम-

इलेक्ट्रीशियन

पदकोड-769/166/63/2024

कुल पद-01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं वैतिज आरक्षण की स्थिति:-

क्र. सं.	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	वैतिज आरक्षण के अनुसार रिक्त पदों की संख्या							
				अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति के अतिरिक्त	पुरुष	महिला	अनुसूचित जाति के कुल किलोमी	अनुसूचित जाति के अतिरिक्त कुल किलोमी	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	इलेक्ट्रीशियन (प्रविधिक शिक्षा उपसहायक)	अनुसूचित	01	-	-	-	-	-	-	-	-
		अनुसूचित जाति के अतिरिक्त	-	-	-	-	-	-	-	-	
		अनुसूचित जाति के कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	
		अनुसूचित जाति के अतिरिक्त कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	
		योग	01	-	-	-	-	-	-	-	

(ii) वेतनमान:- ₹0 21,700-₹0 69,100 (वेतल-05)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:-अनुसूचित/स्वायं/अनुसूचित पेशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

(1) राजकीय मध्यमिक प्रविधिक विद्यालय का संबन्धित ट्रेड से 03 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स अथवा हाई स्कूल के साथ आईटीआई/जीआईटीआई अथवा पॉलीटेक्निक से संबन्धित ट्रेड में सर्टिफिकेट।

(b) अधिमानी अर्हताएँ:- उच्च नालों के समान होने पर, ऐसे अम्पली को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंने-

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैंडिडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

H- पदनाम-

इन्स्ट्रुमेंट रिपेयर

पदकोड-769/201/63/2024

कुल पद-03

(i) रिक्तियों का विवरण एवं शैक्षिक आरक्षण की स्थिति-

क्र. सं.	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	शैक्षिक आरक्षण के अंतर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	समानक्षेत्रों में अशिक्षित	पुराई संकेत	अनन्य	उत्तराखण्ड के कुल किलोमी	उत्तराखण्ड राज्य अधीनस्थ के विभिन्न अधीनस्थों की संख्या अशिक्षित	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	इन्स्ट्रुमेंट रिपेयर (प्रतिष्ठित शिक्षा उत्तराखण्ड)	अनन्य	01	-	-	-	-	-	-	-
		अनन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
		अनन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
		अनन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
		अनन्य	02	-	-	-	-	-	-	-
		योग	03	-	-	-	-	-	-	-

(ii) वेतनमान:- ₹0 29,200-₹0 92,300 (लेवल-06)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप-अराजकचित/स्थायी/असहायी पेशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

(i) डिप्लोमा इलेक्ट्रानिक्स इन्स्ट्रुमेंटेशन/पोस्ट डिप्लोमा इन्स्ट्रुमेंटेशन

(b) अधिगामी अर्हताएं- अन्य शर्तों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को शीघ्र शर्तों के मामलों में अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंने-

(i) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(ii) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

1. पदनाम—

अनुरेखक/ट्रेसर

पदकोड—162/052/63/2024

कुल पद—01

(i) उम्मीदवारों का विवरण एवं वैशेषिक आरक्षण की स्थिति—

क्र. सं.	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिज़र्व पद	वैशेषिक आरक्षण के अन्तर्गत रिज़र्व पदों की संख्या							रिज़र्व
				अनुसूचित जाति	अनुसूचित प्रादेशिक	अनुसूचित जनजाति	अन्य	उत्तराखण्ड के मूलज विद्यार्थी	उत्तराखण्ड राज्य अभ्येताओं के विहित अनुसूचिकाओं या उनके अभिजात		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	अनुरेखक/ ट्रेसर (वित्तविकासी कमिश्नरी नगर)	अ0200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ020000	—	—	—	—	—	—	—	—	
		अ020000	—	—	—	—	—	—	—	—	
		अ020000	—	—	—	—	—	—	—	—	
		अ000	01	—	—	—	—	—	—	—	
	योग	01	—	—	—	—	—	—	—	—	

(ii) वेतनमान— रु 18,000—रु 56,500 (लेवल-01)

(iii) आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप—अवकाशपत्रित/स्पाई/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता—

(a) अनिवार्य अर्हता—

- आईटीआई डिप्लोमाधारक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(आईटीआई डिप्लोमाधारक संबंधित ट्रेड का ही मान्य है)

(b) अधिमानी अर्हताएं— अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अर्थवर्गीय को सीमा मर्ती के मामले में उचितता दिया जाएगा, जिन्होंने—

- प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- नेशनल कैडेट बॉर का "बी" प्रमाण-पत्र अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

1. पदनाम-

अनुसूचक/ट्रेसर

पदकोड-155/052/83/2024

कुल पद-02

(i) रिक्तियों का विवरण एवं शैक्षणिक आरक्षण की स्थिति-

क्र. सं.	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	शैक्षणिक आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				प्रारम्भिक की बरिदा	स्कूल-लेवेल के अर्थात्	सुरुवाती सेनिक	अग्रज	उप-अग्रज से सुपर डिप्लोमा	उप-अग्रज तक अन्तर्गत के विभिन्न अन्तर्गतकारी या उनके अर्थात्	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अनुसूचक/ ट्रेसर (जिल्लाधिकारी देहात)	अग्रज	-	-	-	-	-	-	-	-
		अग्रज/अग्रज	-	-	-	-	-	-	-	-
		अग्रज/अग्रज	-	-	-	-	-	-	-	-
		अग्रज	02	-	-	-	-	-	-	-
		योग	02	-	-	-	-	-	-	-

(ii) वेतनमान:- रु 18,000-रु 95,900 (लेवल-01)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित/स्थायी/अस्थायी पेशानदुस्त।

(v) शैक्षणिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

(1) आईटीआई डिप्लोमाधारक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (आईटीआई डिप्लोमाधारक संबंधित ट्रेड का ही मान्य है)

(b) अधिगामी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी परीक्षा के माफसे में अधिमान दिए जाएंगे, जिन्होंने-

(1) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) मेरानल कैंडिडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

K- पदनाम-

बैंककला प्रशिक्षक

पदकोड-454 / 093 / 83 / 2024

कुल पद-01

(i) रिक्तियों का विवरण एवं शैक्षणिक आवास की स्थिति:-

अव. क्र.	पदनाम/ विभाग का नाम	आवक्य श्रेणी	रिक्त पद	शैक्षणिक आवास से अलग-थलग रिक्त पदों की संख्या						विशेष
				उत्तराखण्ड की शैक्षणिक	उत्तराखण्ड से अलग	पुस्तुई शैक्षणिक	अन्य	उत्तराखण्ड से अलग शैक्षणिक	उत्तराखण्ड राज्य अन्दोजन के विभिन्न जल-पट्टी/नहरों या उनके अलग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	बैंककला प्रशिक्षक (समान कक्षा का विभाग, उत्तराखण्ड)	अवकाश	-	-	-	-	-	-	-	-
		अवकाश/अवकाश	-	-	-	-	-	-	-	-
		अवकाश	-	-	-	-	-	-	-	-
		अवकाश	-	-	-	-	-	-	-	-
		अवकाश	01	-	-	-	-	-	-	-
		योग	01	-	-	-	-	-	-	-

(ii) वेतनमान:- ₹ 21,700-₹ 69,100 (लेवल-03)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप-अराजक/स्थायी/स्थायी/अस्थायी पेशानयुक्त।

(v) शैक्षणिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

(1) माध्यमिक शिक्षा परिसर/ उत्तर प्रदेश/ उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उक्तके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(2) किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित व्यवसाय में प्रमाण पत्र।

(b) अधिमानी अर्हताएं:- अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे उम्मीदवारों को सीपी भर्ती के मामले में अग्रिष्ठता दिया जाएगा, जिन्होंने:-

(1) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्षों की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र अथवा "सी" प्रमाण-पत्र द्वारा किया हो।

5. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया:-

(i) उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय (Objective Type with Multiple Choice) 02 घण्टे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी।

पदनाम- प्रारूपकार, टेक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत), टेक्नीशियन ग्रेड-2 (यांत्रिक), गलकूप निस्त्री, प्लम्बर, मेटिनेस सहायक, इलेक्ट्रीशियन तथा इस्ट्रुमेंट रिपेयर के पदों हेतु विषयपरक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों हेतु संबंधित ट्रेड का पाठ्यक्रम National Council for Vocational Training (NCVT) का होगा। पदनाम- अनुप्रेषक/ ट्रेसर के पदों हेतु DMC (Draftsman civil) का पाठ्यक्रम होगा। पदनाम- बैंककला प्रशिक्षक के पदों के पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-1 का अवलोकन करें।

सामान्य व ओ०बी०सी० श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अर्हक माने जाएंगे।

(ii) अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

(iii) ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) तीन प्रतियों (ट्रिप्लीकेट) में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है, तो परीक्षा सम्बन्धि के पश्चात अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री यथा प्रश्न बुकलेट व दिए गए उत्तर विकल्प तथा उसके द्वारा दिए गए उत्तर व उसकी कुंजी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी।

(iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को चार उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु निम्न किये गये अंकों का एक बोधाई ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(v) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(vi) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा।

(vii) ओ०एम०आर० शीट में काइटनर का उपयोग या विकल्पों को सुदृशना/कटिंग आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(viii) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी ओ०एम०आर० शीट में गलत अनुक्रमिक अथवा गलत बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसकी ओ०एम०आर० शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(ix) ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न-पत्र व दिये गये उत्तर विकल्प अभ्यर्थी को उपलब्ध कराये गये मॉनीटर/कम्प्यूटर/टैब पर ही प्राप्त होंगे।

06. **अभिमान-** लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर बरिष्ठता का निर्धारण होगा (आयु में बरिष्ठ अभ्यर्थी पहले तथा कमिष्ठ अभ्यर्थी बाद

में आएगा), आयु के भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थियों को अभिमान दिया जायेगा तथा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

07. आयु—

उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की निरधारक तिथि 01 जुलाई, 2024 है।

(क)—परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1309 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह-‘न’ के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमत्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या: 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य है। अधिसूचना संख्या: 6/1/72 कार्मिक-2 दिनांक 26 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सहाय्य सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिष्कारजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो वह सम्झा जावेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

08. आवेदन हेतु पात्रता—


उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/बांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है—

(क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो।

(ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्वायं निवास प्रमाण-पत्र धारक हो।

(ग) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो।

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धराजकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के शार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मों, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह “ग” के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर



निवासस्त है, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(घ) शासन के पत्रांक-1097/XXX(2)/2011 दिनांक 08.08.2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्यीय सेवाओं में सेवामोहित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवामोहित कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। "उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्यीय सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएं सम्मिलित हैं।"

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवामोहित कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सेवामोहित कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवामोहित कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अहं किया जाएगा कि, वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा सेवामोहित कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवामोहित कार्यालय को दे दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु अहं माना जाएगा।

(ङ) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010 दिनांक 14.08.2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवामोहित कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को सेवामोहित कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।"

09. राष्ट्रीयता-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या


(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ रंजानिया (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो ;

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें,

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष



की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में उपरोक्तानुसार पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तित रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि, आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

10. घरित्र-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का घरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवामयोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य-व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा की शुधिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जाएगी।

11. वैवाहिक प्रारिधति-

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।


12. शारीरिक स्वस्थता-

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अथा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

शासनादेश संख्या: 374(1)XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 02 नवंबर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संकेत में परिशिष्ट 2(घ)में संलग्न है।

13. आरक्षण-

- i. शासनादेशों के नवीनतम प्राकियानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमत्त है। विधिति में नियोयता विधान से रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है।
- ii. शासनादेशों के नवीनतम प्राकियानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता




संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04%, अनाथ बच्चों हेतु 05%, कुशल खिलाड़ी के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

- iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य विछटा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के दृष्टान्त है, उन आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो, को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- iv. उत्तराखण्ड की महिला अभ्यर्थियों को ऊर्ध्व श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है। उत्तराखण्ड की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- v. जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- vi. "भूतपूर्व सैनिक" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय धर सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो-(एक) अपनी पेशान अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सकीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सकीय या अन्य योग्यता पैशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदसता के कारण पदच्युत या सेवा नूत नहीं किया गया है और जिसे प्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं-(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पैशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सकीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शीघ्र पुरस्कार पाने वाले। (चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।



- vii. शासनादेश संख्या-310/XVI-2/18-02/DMC/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य विच्छदा वर्ग प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य होनी चाहिए।
- viii. भारत सरकार की कार्यालय ज्ञाप संख्या-36034/6/90-Estt.(SCT) दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोई पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो पहले से ही राज्य सरकार की समूह 'ग' और 'घ' की सेवा में कार्यरत है, वह राज्य सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' में उच्चतर श्रेणी या संवर्ग में किसी अन्य सेवायोजन को प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिक हेतु यथाविहित आयु शिथिलता का लाभ प्राप्त कर सकेगा, यद्यपि ऐसा अभ्यर्थी राज्य सरकार की नौकरी में पूर्व सैनिक हेतु आरक्षण के लाभ के लिए अर्ह नहीं होगा।
- ix. भारत सरकार के अधिसूचना संख्या(Notification N0). 36034/5/85-Estt.(SCT) दिनांक 27 अक्टूबर, 1986 के अनुसार उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और अपनी अभिवृत्त आयु पूर्ण होने से पूर्व किन्तु 01 वर्ष के अन्दरत आवेदन करने की दशा में उन्हें भूतपूर्व सैनिक हेतु निर्धारित आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।
- x. भूतपूर्व सैनिकों के अधिकृतों को निर्धारित श्रेतिज आरक्षण या उनके अधिकृत के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।
- xi. "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अधिकृत" से तत्पर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से अभिप्रेत है।
- xii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:-244/xxxvi(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 18 अगस्त, 2024 में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के विहित आन्दोलनकारियों या उनके अधिकृतों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 द्वारा राज्य की राज्यवीन सेवाओं में ध्वन के समय विहित आन्दोलनकारियों या उनके अधिकृतों को 10 प्रतिशत श्रेतिज आरक्षण दिया जायेगा।
- xiii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:-117/xxxvi(3)/2024/09(1)/2024, दिनांक 16 मार्च, 2024 में उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल क्लिटाडियों के लिए श्रेतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 द्वारा 'कुशल क्लिटाडियों' से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो या प्रतिभाग किया गया हो और जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में है, परन्तु उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, अथवा जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में नहीं है, परन्तु उसने शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा.प्र./2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 या तत्समय प्रवृत्त अधिवास सम्बन्धी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।



लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रकम पर विस्तारों में, जिन पर भर्ती की जानी है, 04 प्रतिशत दैतिज आरक्षण निम्नवत् अनुगुन्य होगा:-


क्र० सं०	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	दैतिज आरक्षण
1	ओलम्पिक खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल-10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
2	विश्वकप/ विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल-8 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
3	कॉमनवेल्थ खेल/एशियन चैम्पियनशिप	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल-7 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
4	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल-6 एवं उससे निम्न लेवल
5	राष्ट्रीय खेल/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल/खेलों इन्डिया यूथ गेम्स	पदक विजेता	लेवल-6 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

परन्तु यह कि राज्यीन सेवाओं के अन्तर्गत कुराल खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य कुशल खिलाड़ी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जावेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जावेगा।

(xiv) कुराल खिलाड़ियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों की पुष्टि संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों (भारत सरकार अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त) से कराई जावेगी। तथा समान श्रेणी की वरीयता के क्रम से तात्पर्या अपनी श्रेणी से है।

(xv) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा तथा आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

नोट 1:- अभ्यर्थी पादकक्रम हेतु परिशिष्ट-1 तथा आरक्षण से संबंधित प्रपत्र हेतु परिशिष्ट-2(क), 2(ख), 2(ग), 2(घ), 2(च) तथा दिव्यांगता की श्रेणियों से संबंधित प्रमुक्त संस्थितियों के विवरण हेतु 2(छ) का अवलोकन करें। अभ्यर्थी उक्त परिशिष्टों में दिये गये प्रपत्रों के अनुसार ही अपने प्रमाण-पत्र तैयार करवायें।



14. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के चरण



- i. अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करना चाहिए। एक मोबाइल नंबर और एक ई-मेल आईडी का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है।
- ii. अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद सदैव अपना ई-मेल आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रखें। गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्जन रद्द समझा जावेगा एवं यूजेर/साएसओसी/सीओ द्वारा भविष्य में करायी जाने वाली परीक्षाओं से बर्हिता होने के लिए उत्तरदायी होगा।
- iii. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी को अंतिम समझा जाएगा।
- iv. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण नंबर नोट करें, क्योंकि यह आगे की प्रक्रिया और भविष्य के लॉग-इन के लिए आवश्यक है।
- v. अभ्यर्थियों को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ का आयाम (150w×200H px) और हस्ताक्षर का आयाम (150w×100H px) को जेपीएनजी/जेपीईएनजी प्रारूप में अपलोड करना होगा।
- vi. आवेदन-पत्र के लिए भुगतान केवल क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई से कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्जन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
- vii. तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए कृपया हमें shayanayog@gmail.com पर ई-मेल करें।
- viii. अप्रतिभार्य कारणों से यदि एक उम्मीदवार द्वारा एक ही या ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक से अधिक सम्मिंत किए गए आवेदन भरे जाते हैं, तो उसके द्वारा भरा गया अंतिम आवेदन मान्य होगा।
- ix. यदि अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र का शुल्क किसी तकनीकी कारण से असफल (Failed) हो जाता है या भुगतान हो जाने के बाद भी असफल (Failed) हो जाता है, तो अभ्यर्थी का कटा हुआ शुल्क शीघ्र वापस कर दिया जावेगा।

- x. अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र को तभी पूर्ण समझा जायेगा, जब तक की अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन-पत्र को Status वाले कॉलम में Completed प्रिन्ट न लिखा हो।
- xi. निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग को खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण नरा हुआ समझा जाएगा।
- xii. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि यह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को निम्न समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है।
- xiii. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई अपील प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

15. शुल्क-


अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र.सं.	श्रेणी	शुल्क (₹)
01	अनारक्षित (Unreserved)/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	300.00
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (SC)/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (ST)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	150.00
03	उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थी (DIVYANG)	150.00
04	अनाथ (ORPHAN)	00.00

17. अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़ें:-

(1) आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि ऑनलाइन फार्म में बिना प्रमाण-पत्रों/संलग्नकों के सनिरीक्षा की जानी संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम घण्टे के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थी उच्च एवं शैक्षणिक आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्या:-79/2010 तथा पितल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका



(सिविल) नं० (एस) 19632/2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा धारित आदेश के त्राम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन की अन्तिम तिथि तक संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।

(3) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा धयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वेद प्रमाण-पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा परीक्षा कल में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है. साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अनियोग (FIR) भी दर्ज कराया जाएगा।


(4) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अन्तिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सत्यापन के घरण तक किसी भी स्तर पर वह पाया जाता है कि अभ्यर्थी जर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से धयनित हो जाता है तो भी आयोग की संस्तुति यापस ले ली जाएगी।

(5) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/चप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(6) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(7) ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अन्तिम दिनों में वेबसाइट पर अतिरिक्त भार अता है, इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।

(8) आवेदन के इस घरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण-पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।



(9) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवा नियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावतियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत सम्पन्न की जाएगी।

(10) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और सभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अनिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राकिकानों के अनुरूप ही देखा जाएगा। नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।


(11) ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई-मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर नहीं है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें ताकि आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारीयाँ तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अनिलेख मान्य नहीं होगा।

(12) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अतः आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर तथा प्रेस नोट आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(13) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी को प्रसारित किये जाने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन/आपत्ति ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफलाइन या निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, उन्हें सही प्रश्नोत्तर मानते हुये परिष्कृत जारी किया जाएगा।

(14) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैंसुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर उतारखण्ड अश्लीनस्व सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पेन किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा जांच के दौरान दिये जा रहे सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

(15) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से प्राथमिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/सुविधा के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।




(16) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 168/XXXV(3)/2023/10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुविद्य साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 अधिनियमित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुविद्य साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अनुविद्य साधनों का प्रयोग नहीं करेगा तथा कोई भी व्यक्ति, जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कार्य में तैनात नहीं है या जो प्रतियोगी परीक्षा के संचालन कार्य में नहीं लगाया गया है, अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

कोई भी परीक्षार्थी या परीक्षक या परीक्षा में लगा अन्य कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के अनुविद्य साधनों या उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल फोन, ब्ल्यूटूथ डिवाइस, घड़ी, कैल्कुलेटर, पेजर, चिप, कंप्यूटर को प्रभावित करने का कोई उपकरण) इत्यादि उपकरण ले जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा। उक्त अधिनियम का उल्लंघन करने वाले पर उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुविद्य साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाए

(17) विज्ञापन की आख्या तालिका में प्रदत्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाए-

अ0ज00	-	अनुसूचित जाति
अ0ज0ज00	-	अनुसूचित जनजाति
अ0वि0ज0	-	अन्य पिछड़ा वर्ग
अ0क0ज0	-	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
अग0	-	अनारक्षित


 (सुरेन्द्र सिंह रावत)
 राबिब

परिशिष्ट-2 (क)

Syllabus for the post of रीत कला प्रशिक्षक

Unit-1

Basic conception of रीत कला :

- Meaning and definition of Cane Craft (रीत कला)
- History and origin of the Cane craft.
- Current status, scope and challenges related to cane sector.
- Socio-economic status of artisan involved in cane craft
- Current policies and regulations for conservation and utilization.
- Cane craft producing countries / states in India

Unit-2

Harvesting and Processing of Cane

- Extraction and processing techniques.
- Tools and techniques used for its processing.
- Current utility, various cane products and innovation in designing.
- Existing marketing status and its commercial potential.

Unit-3


Ringal Craft in Uttarakhand.

- Definition and general characteristics.
- Historical background of the ringal craft and dependent communities.
- Classification and species found in the Uttarakhand.
- Potential districts of ringal handicraft in Uttarakhand
- Availability of resources and pattern of resource use.
- Challenges faced by the artisans for sustainability.

Unit-4

Ecological significance of Ringal

- Altitudinal zones of ringal distribution in Uttarakhand.
- Ecological roles and interactions within local ecosystems.
- Growth cycles and reproductive behaviour.
- Role in ecological restoration and sustainable development goals.
- Contribution to biodiversity and habitat for other species.
- Importance of GI-Tag of ringal species.
- Current policies and regulations its conservation and sustainable utilization.



Unit-5

Cultural and Economic Significance

- o Traditional uses of ringal and its management by indigenous communities.
- o Cultural practices and rituals associated with ringal.
- o Modern applications and commercial potential.
- o Potential of Ringal-based entrepreneurship in Uttarakhand.
- o Impact on local economies and livelihoods.
- o Product range developed i.e. domestic utility items, heritage use, office use and other decorative items.
- o Existing marketing status and economics of ringal and other associated crafts.

Unit-6

Practical application and hands-on training

- o Ringal crafting techniques in modern context.
- o Innovation in designing and creating modern ringal products.
- o Successful ongoing ringal based entrepreneurship initiative taken in the state.

Unit-7


Ringal Cultivation, Harvesting Techniques:

- o Ringal propagation and cultivation techniques
- o Nursery development
- o Plantations techniques
- o Harvesting techniques

Unit-8

Processing Techniques

- o Tools and equipment (Traditional and Scientific) used in processing.
- o Post harvesting management and treatment techniques. (Cleaning, drying, splitting, smoking, colouring etc.).
- o Value addition through using other natural fibres and wild seeds.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Singh', with a horizontal line underneath. There are some small scribbles above the signature.

Unit-9

Natural fibres in Uttarakhand


- o Different Types of natural fibres and their products
- o Traditional knowledge of processing natural fibre.
- o Various techniques of preservation and treatment of fibre (natural and modern techniques).
- o Role of natural fibres in textile industry.
- o Potential of natural fibres in the income generation of local communities.

Unit-10

Pirul Craft in Uttarakhand

- o Definition of pirul, processing and product development.
- o Various products from pirul.
- o Ecological significance of pirul utilization.
- o Current status and economics of pirul products in Uttarakhand.

The Syllabus includes current general knowledge of scientific and technical advancements in all the above units of cane and other associated crafts of Uttarakhand deemed to have been included



परिशिष्ट-2(क)

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/शुभारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम.....

तहसील..... नगर..... जिला.....

उत्तराखण्ड की..... जाति के व्यक्ति है, जिसे सचिवालय (अनुसूचित जाति)
आदेश 1960(जैसा कि सत्य-समय पर संशोधित हुआ) सचिवालय (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0)
आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के
रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/शुभारी..... तथा/अथवा उनका परिवार
उत्तराखण्ड के ग्राम..... तहसील..... नगर.....
जिला..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

पूरा नाम.....

पदनाम.....

पुठर.....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/
सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2(ख)

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि २०२० पुनर्गठन अधिनियम, २००० के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम.....

तहसील..... नगर..... जिला.....

.....उत्तराखण्ड के राज्य की.....पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति

२०२० लोक सेवा/अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, १९९४) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-१ के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम, १९९४ की अनुसूची-२ में अधिसूचना संख्या-२२/१६/९२-क-२/१९९५ टी.सी. दिनांक ०८ दिसम्बर, १९९५ द्वारा क्या संशोधित से अधिसूचित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तब/अथवा उनका परिवार
उत्तराखण्ड के ग्राम..... तहसील..... नगर.....
जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
जिला सभाज कार्यवाह अधिकारी।

परिशिष्ट-2(ग)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(प्रतिपूचना संख्या-84/XXXVI(5)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आठ एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या..... वर्ष..... हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पुत्र/पत्नी/पुत्री..... जन्म/मोहल्ला.....

पोस्ट ऑफिस..... जिला..... पिन कोड.....

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, किंगडम नकीनतम फोटो नीचे प्रस्तुत है।
इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख(सन्ने अठ लाख) से कम है और इनका परिवार
प्लान में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- II. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं और भारत
सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में
सम्पन्नित नहीं है।

अवेक का अधीनस्थ
वाचपोर्ट काइल का
प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम.....

पदनाम.....

परिशिष्ट-2(प)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आशितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या-4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उद्देश्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम.....

उपरोक्त..... नगर..... जिला.....

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शादीरक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आशित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1983 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आशित).....

.....पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री(पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित) उपबधित अधिनियम, 1983 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आशित है।

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी.....

परिशिष्ट-2(ब)
निशक्तता प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या-_____

तारीख_____

निशक्तता प्रमाण-पत्र

विक्रमसिंह बर्डे की
अवस्था द्वारा विक्रमसिंह
प्रभावित सम्पीरदार
का हाल का फोटो
जो सम्पीरदार की
निशक्तता दर्शाता
है।

प्रभावित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/शुद्ध_____

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री_____अबु_____दिन_____पहचान चिह्न_____

_____निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निशक्तता से ग्रस्त है।

क. दक्षि विषयक(लोकोमोटर्) अवस्था प्रभावितशरीर फ्लाइंग(पैरालिसिस)

1. दोनों टांगें(बी. एल.) - दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
2. दोनों बांहें(बी. ए.) - दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पटुंग
(ख) कमजोर पकड़
3. दोनों टांगें और बांहें (बी.एल. ए.) - दोनों टांगें और दोनों बांहें प्रभावित
4. एक टांग(बी.एल.) - एक टांग प्रभावित (घाया या बाया)
(क) दुर्बल पटुंग
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विक्रम (अटैकिंग)
5. एक बांह (बी.ए.) - एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पटुंग
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विक्रम (अटैकिंग)

6. पीठ और गिराव (बी.एच.) - पीठ और गिराव में कठोरपन(वेरि) और झुक नहीं सकते)
7. कमजोर मांस पेशियां (एम.एच.) - मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति

ख. अंधापन अब्ना अन्य दृष्टि -

- i. बी - अंधता
- ii. पी. बी - अंतिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- i. डी - बहिर
- ii. पी. डी - अंतिक रूप से बहिर

(उस श्रेणी को छटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/ गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/ सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुभवा नहीं की जाती-_____यी_____नीनों की अवधि के पर्याय पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुभवा की जाती है। *

3. उनके मामले में निम्नलिखित का प्रतिफल_____ है।

4. श्री/श्रीमती/शुभारी_____ अपने वर्तव्य के निर्दहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अवेशाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- | | |
|---|----------|
| i. एन- अनुश्रुतियों को पसकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| ii. पी.पी- कंधेलेने और धीकने के लिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| iii. एल- उठाने के लिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| iv. के.सी- घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| v. बी- झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| vi. एन- बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| vii. एस.टी- खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| viii. डब्ल्यू- चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| ix. एस.ई- देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| x. एन- सुनने/बोलने के लिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| xi. आर.डब्ल्यू- पढ़ने और लिखने के लिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |

(रक_____)

सदस्य
शिक्षिता बोर्ड

(रक_____)

सदस्य
शिक्षिता बोर्ड

(रक_____)

सदस्य
शिक्षिता बोर्ड

शिक्षिता आदेशक/मुख्य शिक्षिता अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुख्य सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट-2(उ)

विभागा की श्रेणियों से संबंधित प्रमुख शब्दों का विवरण
Description Of Abbreviations Used Related To DIVYANG Categories
शब्दों का विवरण से संबंधित प्रमुख शब्दों का विवरण

S.NO.	CATEGORY CODE		ABBREVIATION USED	
	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी
1	B.	धी	Blind	दृष्टिहीनता
2	L.V.P.B.	एलएच/पीएच	Low Vision/Partially Blind	अल्पदृष्टि/आंशिक दृष्टि
3	D.	धी	Deaf	बधिर
4	H.H/P.D.	एचएच/पीडी	Hard of Hearing/Partially Deaf	अल्प शक्ति में श्रवण/आंशिक बधिर
5	O.A.	ओआ	One Arm Affected (1) Impaired reach (2) Weakness of grip (3) Ataxia	एक हाथ प्रभावित (1) इतिहास (2) पकड़ने में अक्षमता (3) अस्थिरता
6	O.L.	ओएल	One Leg Affected	एक पैर प्रभावित
7	B.A.	बीआ	Both Arm Affected (1) Impaired (2) Weakness of grip	दोनों हाथ प्रभावित (1) इतिहास (2) पकड़ने में अक्षमता
8	B.L.	बीएल	Both Leg Affected	दोनों पैर प्रभावित
9	B.L.A.	बीएलआ	Both Leg and Both Arm Affected	दोनों पैर तथा दोनों हाथ प्रभावित
10	B.H.	बीएच	Stiffback and Hips (cannot sit or stoop)	रिजिड बैक एवं हिप्स (बैठ नहीं सकते)
11	O.A.L.	ओआएल	One Arm and One Leg Affected	एक पैर और एक हाथ प्रभावित
12	C.P.	सीपी	Cerebral Palsy	प्रमोचिका रोग
13	L.C.	एलसी	Leprosy Cured	लेप्रोसिया कृप
14	Dw.	डीव	Dwarfism	बौद्धिक
15	A.A.V/A.V.	एआवी/एवी	Acid Attack Victims/Acid Victims	एसिड अटैक पीड़ित/एसिड पीड़ित
16	A.S.D.	एसडी	Autism Spectrum Disorder	स्वाभाविकता
17	S.L.D.	एसएलडी	Specific learning Disability	विशिष्ट अधिगम विभागा
18	I.D.	आईडी	Intellectual Disability	बौद्धिक विभागा
19	M.Dy./M.W.	एमडी/एमडब्ल्यू	Muscular Dystrophy/Muscular Weakness and limited physical	पेशीय दुर्बलता/मांसपेशी की कमजोरी तथा सीमित शारीरिक सहजता
20	M.I.	एमआई	Mental illness	मानसिक अस्वस्थता
21	M.D.	एमडी	Multiple Disabilities	बहु विभागा
22	Th.	थि	Thalassemia	थैलेसीमिया
23	Hp.	एचपी	Hemophilia	हीमोफीलिया